**बिहार सरकार**

**गन्ना उद्योग विभाग**

**अधिसूचना**

स०सं०–01/स्था०राज०–318/2024–.............. पटना, दिनांक– अगस्त, 2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ईख विकास सेवा में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।–(1) यह नियमावली बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषा** ।–जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

   (i) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य,

   (ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

   (iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग;

   (v) 'बिहार ईख विकास सेवा' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की बिहार ईख विकास सेवा;

   (vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार ईख विकास सेवा का संवर्ग;

   (vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

   (viii) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

   (ix) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली द्वारा यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;

   (x) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार ईख विकास सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

   (xi) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

3. **संवर्ग नियंत्रण**।– यह सेवा एक राज्य सेवा होगी तथा गन्ना उद्योग विभाग इस सेवा का नियंत्री विभाग होगा।

4. **पद सोपान :–(1) इस संवर्ग का पद सोपान निम्नवत् होगा–**

| क्र०सं० | कोटि | पदनाम |
|---|---|---|
| i | मूल कोटि | सहायक निदेशक, ईख विकास एवं समकक्ष पद |
| ii | प्रथम प्रोन्नति | उप निदेशक, ईख विकास (शष्य) एवं समकक्ष पद |
| iii | द्वितीय प्रोन्नति | संयुक्त निदेशक, ईख विकास (शष्य) |

(2) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान/वेतनस्तर वही होगा जैसा समय–समय पर इस संवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

5. **मूल कोटि में नियुक्ति** ।–(1) सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। मूल कोटि के 67 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 33 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

(2) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को कोटि में स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग–अलग की जायेगी। यह गणना पदों के आधार पर की जायेगी अर्थात सीधी नियुक्ति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा तथा प्रोन्नति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। 30 अप्रैल को रिक्तियों के संबंध में आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।

(3) **शैक्षणिक योग्यता**।– संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।

(4) **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति** ।–

(i) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जायेगी।

(ii) **उम्र सीमा**।– आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर विनिश्चित की जाय, किन्तु विशेष परिस्थिति में इसे राज्य सरकार के आदेश से बढ़ाया जा सकेगा।

(iii) **आरक्षण**।– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए, समय–समय पर, अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(iv) विभाग सीधी नियुक्ति हेतु, सामान्य एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ. अधियाचना प्रत्येक वर्ष आयोग को भेजेगा।

(v) **प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम**।– इस नियमावली के नियम 5 (4) (i) में उल्लेखित प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु इसका प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। मेधा सूची कृषि विज्ञान में 200–200 अंकों के दो प्रश्न पत्रों, सामान्य ज्ञान के 100 अंकों के एक प्रश्न पत्र तथा मौखिक परीक्षा के 50 अंकों के विरूद्ध प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चत किया जाय। कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से तैयार किया

जाएगा। कृषि विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के उपरोक्त तीन पत्रों के प्राप्तांक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को समुचित संख्या में मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मौखिक परीक्षा 50 अंकों की होगी।

(vi) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा**।– आयोग लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा तथा अधियाचना के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को करेगा।

(vii) **प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति**–बिहार ईख विकास सेवा में ईख प्रसार सेवा से कृषि स्नातक योग्यताधारी को हीं प्रोन्नति दी जायेगी । बिहार ईख प्रसार सेवा में कार्यरत पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि एवं पदों की उपलब्धता आदि पर विचार करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत नीति निर्धारक परिपत्रों के आलोक में वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

बिहार ईख विकास सेवा में नियुक्त सदस्यों के लिए प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. **परिवीक्षा**। सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. **प्रशिक्षण**।–सीधी भर्त्ती से नवनियुक्त पदाधिकारियों को सरकार/सा०प्र० विभाग द्वारा समय–समय यथा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा।
8. **विभागीय परीक्षा**।– सीधी भर्त्ती से नवनियुक्त पदाधिकारियों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा की विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा।
9. **सम्पुष्टि**।– (1) परिवीक्षा अवधि पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता तथा विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सदस्यों की सेवा संपुष्ट की जा सकेगी।
10. **वरीयता का अवधारण**।– सदस्यों की वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित नीति के आलोक में अवधारित की जाएगी।
11. **मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति**।– (1) सेवा संवर्ग के पदसोपान में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति ठीक नीचे की पंक्ति में कार्यरत पदाधिकारियों से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में दी जाएगी।

(23)

(2) कार्यरत पदाधिकारियों की मूल कोटि में सम्पुष्टि, गोपनीय अभ्युक्ति, आंतरिक स्वच्छता, निगरानी स्वच्छता एवं लोकायुक्त का प्रतिवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित कालावधि आदि पर विचार करते हुए वरीयता के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति।– विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में विभाग द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति एक अलग आदेश से गठित किया जा सकेगा।

12. प्रकीर्ण : कठिनाई का निराकरण।–. (1) इस नियमावली के नियमों का निर्वचन करने के लिए विभाग सक्षम होगा जिसके लिए, आवश्यकत्तानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग विधि विभाग और वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) विभाग, विधि विभाग के परामर्श से, इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण, राजपत्र में समुचित आदेश जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, के प्रकाशन द्वारा, कर सकेगा।

(3) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।

13. निरसन एवं व्यावृति। (1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक –                /पटना, दिनांक                अगस्त, 2025

प्रतिलिपि–ई–गजट प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक अगस्त, 2025

प्रतिलिपि – राज्यपाल के सचिव/ मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – /पटना, दिनाक अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13942 दिनांक–29.07.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – /पटना, दिनाक अगस्त, 2025

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी ईख पदाधिकारी/सभी कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 1251 /पटना, दिनांक 20 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती शालीनता रानी, आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।